


**OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Order No. 10/38-2010 Admn. (4)

Dated, Panchkula the 27/3/14

A copy of letter No. 2/105/2014-1HB-III Dated 05.03.2014 received from The Additional Chief Secy. to Government, Haryana, Health Department regarding Empanelment of Healing Touch Superspecialty Hospital, Khasra No. 195-197, Vill Sultanpur, Sultanpur Chowk, Ambala City-1341003 and reimbursement of medical expenses for Haryana Government employees/pensioners and their dependents is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Director General Elementary Education, Haryana, Panchkula.
2. Director SCERT Haryana, Gurgaon.
3. All DIET's in the State.
4. All District Education Officer's in the State.
5. All District Elementary Education Officer's in the State
6. All the Headquarter Officers.
7. All the Superintendent (HQ).
8. PS/DSE.
9. Jr. Scale Stenographer/ Additional Director Administration-I and II.
10. Technology Officer (I.T. Cell) H.Q.


**SUPERINTENDENT ADMINISTRATION
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**



२२/Admn (6)

12-3-14

क्रमांक 2/105/2014-1 एच 0 बी 0-गा

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग।

सेवा में

४५८०६

- सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, रोहतक, गुडगांव हिसर, सिवानी, साहबनगर/उप मंडल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य में।
- रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
दिनांक, चण्डीगढ़ 05-03-2014

१००३०१४

Subject:-

आपूर्ति (०८)

महोदय,

11-3-14

S.B.I.M.

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय को ओर दिलाते हुए यह कहने वा निर्देश हुआ है कि हरियाणा सरकार द्वारा Healing Touch Superspecialty Hospital, Khasra No. 195-197, Vill Sultanpur, Sultanpur Chowk, Ambala City-134003 प्राइवेट हस्पताल को हरियाणा सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों/पैशनरज व उनके आश्रितों के ईलाज हेतु मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस Multi Specialty Hospital के करवाए गए ईलाज पर आए खर्च की प्रतिपूर्ति पी०जी०आ०० चण्डीगढ़/एम्ज न्यू दिल्ली के रेटस के अनुसार की जाएगी। इस हस्पताल द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन अवश्य किया जाए:-

- This hospital will remain empanelled for a period of 2 years at a time which can be renewed further by the Government keeping in view the performance and track record of the hospital. The period of 2 years will be determined from the date of issue of these instructions.
- Health Department reserves the right to call for record of treatment of any patient from any empanelled hospital to ensure that no mal-practice takes place.
- Hospital shall provide treatment to the employees in the event of a life threatening emergency without asking for deposition of the cost of treatment in advance. The patient shall pay the dues before discharge from the hospital. The hospital, however, shall verify the identity of the employee or his/her dependent to avoid impersonation.
- Hospital shall maintain a record of the treatment of the patients in the format to be prescribed by the Health Department.
- This Hospital will have to follow the package rates for procedures, implants, room rents etc. as prescribed by Government from time to time.
- यह आदेश तुरन्त प्रभाग से लागू होगे।

मामले में वित्त विभाग (वित्त विभाग) द्वारा प्राइवेट हस्पतालों को हारेयाणा सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों/पैशनरज व उनके आश्रितों के ईलाज हेतु मान्यता प्रदान करने सम्बन्धि निर्णय, प्रशासकीय सचिव, रवास्थ्य विभाग के स्तर पर, लेने वारे सहमति उनके आर्ध सरकारी पत्र क्रमांक PS/FCF/2012/Nil दिनांक 4-12-2012 के तहत प्रदान कर दी गई है।

भवदीय

र.यु.टी. साचेव रवास्थ्य

कर्ता: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग।

५/३/१४



पृष्ठांकन क्रमांक 2 / 105 / 2014-1 एच 0 बी 0-गा

दिनांक चण्डीगढ़ 05-03-2014

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त सचिव स्वास्थ्य
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग।
25/3/14

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार

अशा: क्रमांक 2 / 105 / 2014-1 एच 0 बी 0-गा

दिनांक चण्डीगढ़ 05-03-2014

एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा: क्रमांक PS/FCF/2012/Nil, दिनांक 4-12-2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त सचिव स्वास्थ्य
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग।
25/3/14

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

अशा: क्रमांक 2 / 105 / 2014-1 एच 0 बी 0-गा

दिनांक चण्डीगढ़ 05-03-2014

पृष्ठांकन क्रमांक 2 / 105 / 2014-1 एच 0 बी 0-गा

प्रिंट इन्डिप्रिंट-00-00-00

एक प्रति प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, प्लॉट नं ० ५ घ ३ सैदरर-३३ चण्डीगढ़ को सूचनार्थ भेजी जाती है।

संयुक्त सचिव स्वास्थ्य
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग।
25/3/14

पृष्ठांकन क्रमांक 2 / 105 / 2014-1 एच 0 बी 0-गा

दिनांक चण्डीगढ़ 05-03-2014

एक प्रति महानिदेशक, स्वास्थ्य सेदाएं, हरियाणा, सैक्टर -6 पंचकुला को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि संबंधित हिदायतें ताता पूर्व में जारी की गई अन्य सभी हिदायतें स्वास्थ्य विभाग की वैब साईट (<http://haryanahealth.nic.in>) पर डाल दी जायें।

संयुक्त सचिव स्वास्थ्य
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग।
25/3/14